**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1117**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**नई औषधि मूल्य निर्धारण नीति**

**1117.श्री ईश्वर सिंहः**

**श्री एन के सिंहः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई औषधि मूल्य निर्धारण नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है कि नई औषधि

मूल्य निर्धारण नीति के अंतर्गत दवाओं की कीमतों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से उनकी

उपलब्धता और उनकी वहनीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** सरकार ने दिनांक 07.12.2012 को राष्‍ट्रीय औषधि मूल्‍य निर्धारण नीति, 2012 अधिसूचित कर दिया है। राष्‍ट्रीय औषधि मूल्‍य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी-2012) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

* औषधियों के मूल्‍यों का विनियमन राष्‍ट्रीय आवश्‍यक दवा सूची-2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्‍ट औषधियों की तात्‍विकता के आधार पर है।
* औषधियों के मूल्‍यों का विनियमन केवल फार्मूलेशनों के मूल्‍यों के विनियमन के आधार पर है।
* औषधियों के मूल्‍यों का विनियमन बाजार आधारित मूल्‍य निर्धारण (एमबीपी) के माध्‍यम से फार्मूलेशनों के उच्‍चतम मूल्‍य तय करने के आधार पर है। ...2/-

-2-

**(ग) और (घ):** दिनांक 15.05.13 को अधिसूचित नए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित उच्‍चतम मूल्‍य (स्‍थानीय करों यथा लागू को जोड़कर) से अधिक मूल्‍य पर अनुसूचित फार्मूलेशनों के ब्रांडेड अथवा जेनरिक अथवा दोनों रूपों को बेचने वाले अनुसूचित फार्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माताओं को ऐसे सभी फार्मूलेशनों के मूल्‍यों को संशोधित करके उनमें कमी करनी होगी जो उच्‍चतम मूल्‍य (स्‍थानीय करों यथा लागू को जोड़कर) से अधिक नहीं होंगे। इसके अतिरिक्‍त, अनुसूचित फार्मूलेशनों का कोई भी विनिर्माता जो बाजार से किसी अनुसूचित फार्मूलेशन को बंद करने का इच्‍छुक हो, एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा और इस संबंध में उक्‍त फार्मूलेशनको बंद करने की भावी तारीख से कम से कम छ: महीने पहले सरकार को भी सूचित करेगा और सरकार जनहित में अनूसूचित फार्मूलेशन के विनिर्माता को निदेश दे सकती है कि वे ऐसी सूचना के प्राप्‍त होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर बंद करने की ऐसी भावी तारीख से एक वर्ष की अनधिक अवधि के लिए उत्‍पादन अथवा आयात के अपेक्षित स्‍तर को जारी रखे।

\*\*\*\*\*\*